न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 212/2019

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0
पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर
शाखा कार्यालयः– आदर्श नगर, अजमेर
जरिये प्राधिकृत अधिकारी ....प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

(1). श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री भंवरलाल चौधरी,
निवासीः– 81, देव मन्दिर, जैन मन्दिर, तहसील केकडी जिला अजमेर व शॉप नम्बर 8 ए, (सम्पत्ति नं0 1/469) छत रहित, हरिजी की बगीची के पास, बालाजी कॉम्पलेक्स, सब्जी मण्डी, तहसील केकडी जिला अजमेर।
(2). श्रीमती कैलाशी पत्नि भंवरलाल,
निवासीः– 105, देवजी का झौपडा, मेवदा कलां, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
(3). श्री गजेन्द्र कुमार गुर्जर पुत्र श्री रामधन गुर्जर,
निवासीः– 90, देव मन्दिर, जैन मन्दिर, तहसील केकडी, जिला अजमेर।
(4). श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामनारायण चौधरी,
निवासीः– 32, मुख्य बाजार, उगई तहसील केकडी, जिला अजमेर।

.........अप्रार्थीगण (ऋणी/जमानती)

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री प्रवीण सिंह राजावत अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनांक 02.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 28.03.2016 को रू 6,50,000/– (अक्षरे छः लाख पचास हजार रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर हरिजी की बगीची, बालाजी कॉम्पलेक्स, सब्जी मण्डी तहसील केकडी जिला अजमेर स्थित एक दुकान नम्बर 8–ए (सम्पत्ति संख्या 1/469) छत रहित, क्षैत्रफल 100 वर्ग फुट पार्ट ए व 24 वर्ग फुट पार्ट बी है, जो मुकेश कुमार चौधरी व गजेन्द्र कुमार चौधरी की खरीदशुदा है जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –आम रास्ता, पश्चिम –सीढी व दुकान नम्बर 7, उत्तर–दुकान नम्बर 8–बी, दक्षिण–आम सडक, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 31.10.2018 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.12.2018 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये–4,93,404/–(अक्षरे चार लाख तिरानवे हजार चार सौ चार रूपये मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति हरिजी की बगीची, बालाजी कॉम्पलेक्स, सब्जी मण्डी तहसील केकडी जिला अजमेर स्थित एक दुकान नम्बर 8–ए (सम्पत्ति संख्या 1/469) छत रहित, क्षैत्रफल 100 वर्ग फुट पार्ट ए व 24 वर्ग फुट पार्ट बी है, जो मुकेश कुमार चौधरी व गजेन्द्र कुमार चौधरी की खरीदशुदा है जिसकी चतुर्थ सीमाएं – पूर्व –आम रास्ता, पश्चिम –सीढी व दुकान नम्बर 7, उत्तर–दुकान नम्बर 8–बी, दक्षिण–आम सडक, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 02.12.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner